छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, डी.के.एस. भवन,
रायपुर
अधिसूचना

क्रमांक 670 / श्रम / 2002 दिनांक 14-03-2002

चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 (1) में बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किया गया है और आगे प्रावधान है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा और,

चूंकि संसद व्दारा बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 (अधि. कमांक 1976 का 19) पारित किया जाकर बंधक श्रम प्रथा को समाप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है । जिससे कि कमजोर वर्ग के व्यक्ति को आर्थिक एवं शारीरिक शोषण से बचाया जा सकें, और

चूंकि बंधक श्रमिकों की पहचान के लिए पूर्व मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण भाग में 1976 एवं इसके पश्चात् सर्वेक्षण कराये गये थे , और

चूंकि सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के बंधक श्रमिक अन्य प्रदेशों में चिन्हांकित हुये थे जिन्हे बंधक से मुक्त कराया जाकर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पुर्नवासित किया गया, और

चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न भागों अभी भी ॠण के कारण प्रथा के रुप में ॠणी अथवा उसका आश्रित ॠण देने वाले के यहाँ बगैर प्राप्त वेतन के या ॠण को चुकाने के एवज में बंधक के रुप में कार्य करता है या राज्य में अन्य किसी रुप में बंधक प्रथा विद्यमान है, और

चूंकि यह प्रथा मावन अधिकारों का हनन करती है और मानव श्रम के महत्व को निम्न स्तरीय बनाती है, और

चूंकि नये छत्तीसगढ़ राज्य के जनता के हितों की दृष्टि से संवैधानिक एवं वैधानिक दायित्वों के निर्वहि को गति दिया जाना आवश्यक है और इसके लिए बंधक श्रमिक की स्थिति के पुनर्विलोकन के लिये कोई सुविधाजनक उपाय खोजा जाना आवश्यक है और बंधक श्रम (समाप्ति) अधिनियम 1976 के प्रावधानों का प्रवर्तन अधिक सतर्कता से किया जाना जिससे कि यह कुप्रथा राज्य में नहीं पाई जाये तथा राज्य की जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति हो सकें

अतः अब बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट को निम्न कर्त्तव्य एवं अधिकार अधिनियम की धारा 11 एवं 12 में निर्धारित कर्त्तव्यों के साथ अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु दिये जाने का आदेश देते है ।

1. छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी रुप में चला रहे बंधक श्रम प्रथा को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट बंधक श्रमिकों की पहचान के लिए निर्धारित समयावधि के सर्वेक्षण की व्यवस्था करेगें तथा इस पहचान के कार्य के लिए किसी एजेंसी की जिसे वे उपयुक्त समझें सहायता ले सकेंगे ।

2. जिला मजिस्ट्रेट को मुक्त कराये गये श्रमिकों को मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा जिससे कि मुक्त बंधक श्रमिकों को राज्य एवं केन्द्र सरकार की गरीबों एवं सुविधाहीन जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत उपयुक्त रुप से पुनर्वासित किया जा सकें ।

3. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा जिससे कि शासन द्वारा पुनर्वास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के राशि के विमुक्त नहीं होने के कारण या संबंधित शासन को उपयोगिता का प्रमाण पत्र समय पर नहीं भेजे जाने के कारण पुनर्वास योजना प्रभावित न हो ।

4. जिला मजिस्ट्रेट बंधक श्रमिकों के पहचान के कार्य में लगे क्षेत्रीय कर्मचारियों, प्रवर्तन मशीनरी सतर्कता समिति के सदस्यों एवं ऐसे शासकीय संस्था जो बंधक श्रमिकों के लिए समर्पित हो एवं अन्य संबंधित विभागों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करें ।

जिला मजिस्ट्रेट उनकी जानकारी में आये प्रत्येक संदेहात्मक बंधक श्रमिक के लिए प्रकरण की संरचना होगें तथा उन्हें प्राप्त प्रत्येक शिकायत की सत्यता की जांच करायेगें ताकि अपराध करने वाला व्यक्ति अभिलेख में आ सके और पुनर्वास कार्यवाही की जा सके ।

6. जिला मजिस्ट्रेट को मुक्त हुए बंधक श्रमिक से उसके पूर्व मालिक द्वारा ऋण के एवज में प्राप्त की गई राशि को भू- राजस्व के बकाया के समान राशि मानकर वसूली के अधिकार होगें तथा इस राशि को मुक्त हुए बंधक श्रमिक को भुगतान किया जा सकेगा ।

राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार

(एम.एस. मूर्ति)
सचिव
श्रम खेल एवं युवक कल्याण

क्रमांक – 671 / श्रम / 2002 दिनांक 14–03–2002

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, छत्तीसगढ़
3. श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर
4. संचालक, शासकीय प्रेस, राजनांदगांव की ओर अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु एवं राजपत्र की 50 प्रतियां भेजने हेतु प्रेषित ।

(एम.एस. मूर्ति)
सचिव
श्रम खेल एवं युवक कल्याण